



उत्तराखण्ड राज्य

Uttarakhand Housing & Urban Development Authority
Department of Housing, Govt. of Uttarakhand
Rajeev Gandhi Multipurpose Complex, Dispensary Road
Dehradun – 248001 Telefax – 0135-2719500



Uttarakhand Housing & Urban Development Authority
4th Floor Rajeev Gandhi Complex
Dispensary Road, Dehradun
Telefax: 0135-2719500

पत्रांक :- 718/UHUDA-109 A/EBD/2016

दिनांक: 22/10/2022

संशोधित पत्र

प्रेषक,

संयुक्त मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

सेवा में,

सचिव,
समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
उत्तराखण्ड।

विषय: Ease of Doing Business के अन्तर्गत Joint Site Inspection (संयुक्त स्थल निरीक्षण) किये जाने हेतु दिशा-निर्देश विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक-534, दिनांक 27.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से Ease of Doing Business के अन्तर्गत Joint Site Inspection (संयुक्त स्थल निरीक्षण) किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निर्गत किये गये थे। सन्दर्भित पत्र में Ease of Doing Business के Business Reform Action Point (BRAP)-193 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की बाध्यता हेतु विभिन्न विभागों के नाम अंकित किये गये थे, जिसमें त्रुटिवश श्रम विभाग तथा उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सम्मिलित नहीं किया जा सका।

उक्त के दृष्टिगत वर्तमान में Ease of Doing Business के Business Reform Action Point (BRAP)-193 के अन्तर्गत निम्न विभागों यथा वन विभाग, पिटकुल, शहरी विकास विभाग, भूगर्भ व खननविभाग, अग्निशमन विभाग, जल संस्थान विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड, छावनी परिषद, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, श्रम विभाग तथा उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने की बाध्यता निर्धारित है, के द्वारा आवेदक के अनुरोध पर सम्बन्धित विकास प्राधिकरण के साथ Joint Site Inspection (संयुक्त स्थल निरीक्षण) किये जाने की व्यवस्था बनाया जाना उल्लेखित किया गया है।

उक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-837/v-2-2016-127(आ0)/15-टी0सी0, दिनांक 03.06.2016 के माध्यम से Ease of Doing Business कार्यक्रम के अन्तर्गत भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन 2015) निर्गत किये गये हैं, जिसके Part-V Amendments in order of Ease of Doing Business के बिन्दु-c Inspection Procedure के उपबिन्दु-3 में निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

Joint Site Inspection will be done by concerned authority, Fire Department, Airport Authority, Environment Authority and any other authority concerned with the clearance of Construction Permit through the NOC as required under the rules and regulations governing the concerned authorities. The relevant authorities will intimate the date and time in written form to the applicant for the Joint Site Inspection. The Joint Site Inspection Team shall carry a comprehensive checklist which will integrate the various inspection requirements into a single comprehensive checklist and thus allowing for a single clearance for compliant buildings, or for the development of a comprehensive corrective. After the Joint

Site Inspection is completed, the Inspection Report will be submitted & uploaded online within 48 hours from the inspection and all the relevant authorities will issue NOC on the basis of this Joint Site Inspection.

उपरोक्तानुसार किसी भी आवेदक द्वारा प्राधिकरण को सूचित किये जाने पश्चात् सम्बन्धित विकास प्राधिकरण द्वारा Joint Site Inspection (संयुक्त स्थल निरीक्षण) को पूर्ण किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में eASE App के Online Building Permit Modules में e-intimation की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है।

अतः पुनः अनुरोध है कि उक्त व्यवस्था अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही पूर्ण करने का कष्ट करें।

भवदीय

(प्रकाश चन्द्र दुम्का)
संयुक्त मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर
विकास प्राधिकरण,
देहरादून।

प्रतिलिपि:

1. अपर मुख्य सचिव, आवास, उत्तराखण्ड शासन/मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
2. सचिव (प्रभारी), आवास, उत्तराखण्ड शासन/अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून को सादर सूचनार्थ।
3. उपाध्यक्ष, समस्त जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
4. श्रम आयुक्त, श्रम विभाग, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
5. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, 85 राजपुर रोड़, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. प्रबन्धक निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लिमिटेड, विद्युत भवन, समीप आई0एस0बी0टी0 क्रॉसिंग सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7. निदेशक, शहरी विकास विभाग, 31/62, राजपुर रोड़, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
8. संयुक्त निदेशक, भूगर्भ व खनन विभाग, भोपालपानी (कड़ाईखाला), रायपुर थानो एयरपोर्ट मोटर मार्ग, पो0ओ0-धनयारी, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
9. उप निदेशक, अग्निशमन विभाग, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
10. मुख्य महाप्रबन्धक, जल संस्थान विभाग, 32, राजपुर रोड़, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
11. प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
12. प्रमुख अभियन्ता, सिचाई विभाग, यमुना कॉलोनी, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
13. मुख्य पर्यावरण अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदुषण बोर्ड, गौरा देवी पर्यावरण भवन, 45बी0 आई0टी0 पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
14. मुख्य अधिशासी अधिकारी, छावनी परिषद, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
15. क्षेत्री अधिकारी निदेशक (एनआर), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए0ए0आई0), क्षेत्रीय मुख्यालय (उत्तरी क्षेत्र) परिचालन कार्यालय, रंगपुरी, गुड़गांव रोड़, नई दिल्ली को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
16. मुख्य अभियन्ता, उत्तराखण्ड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, विक्टोरिया क्रॉस विजयता गबर सिंह ऊर्जा भवन, कांवली रोड़, बल्लीवाला चौक, देहरादून को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संयुक्त मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर
विकास प्राधिकरण,

देहरादून।

